(02)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–डा.गुंजन सोनी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 13/2019

मुरारी लाल पुत्र नन्दलाल जाति यादव निवासी वार्ड न. 09 सूरतगढ़

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट * सूरतगढ़ (राज0) *

उपस्थितः–

1. श्री कुलविन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
2. पैरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ़ की ओर से

निर्णय दिनांकः– 11-11-19

1 यह अपील तहसीलदार सूरतगढ़ के प्रकरण संख्या 03/19 निर्णय दिनांक 28.02.2019 जिसमें तहसीलदार द्वारा अपीलांट खसरा न. 467/9 के 5.060 है0 रकबा पर नाजायज काश्त मानते हुए 50 गुणा तावान राशि 506 रूपये व फसल कुर्क कर कुर्कशुदा फसल को नीलाम करने का आदेश दिया है, के विरूद्व इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है।

2 अपील मीमो संक्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सूरतगढ़ द्वारा एक रिपोर्ट तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट मुरारीलाल द्वारा रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा न. 467/9 की 5.060 है0 रोही कस्बा बारानी भूमि रकबा राज पर अतिक्रमण कर रबी की फसल काश्त की गई है। पटवारी की उक्त रिपोर्ट के आधार मातहत न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 03/19 दर्ज कार्यवाही प्रारम्भ कर दिनांक 28.02.2019 को निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया व नही साक्ष्य व सबूत पेश करने का कोई अवसर दिया गया। जैर अपील भूमि उपनिवेशन विभाग के बाहर की डी–कॉलोनी की भूमि है। इस भूमि पर धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत कार्यवाही किया जाना कतई गलत व गैरकानूनी है। मातहत न्यायालय ने माईण्ड अप्लाई किये बिना टाईपशुदा पर ही हस्ताक्षर कर निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट के विरूद्व रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा न. 467/9 की 5.060 है0 रकबा के काश्त को अतिक्रमी के तौर पर माना गया है जो रिकार्ड के विपरीत है। अपीलांट ने स्वयं की खातेदारी रकबा 467/9 में 4.17 है0 व 6.325 है0 कुल 10.542 है0 स्वयं का इस खसरा में खातेदारी रकबा है व उसी रकबा को अपीलांट द्वारा काश्त किया हुआ है। अपीलांट के पास स्वयं का जब 10.542 है0 रकबा खातेदारी है तो रकबा राज को काश्त करने का प्रश्न ही नही उठता। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किया

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र अपील क्रमांक 13/2019 पर दर्ज किया जाकर रैस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भागीरथ बिश्नोई पेश हुए एवं राजपैरोकार उपस्थित आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट तैयार की है। जबकि अपीलांट ने अपनी स्वयं की भूमि पर काश्त की हैं। पटवारी द्वारा उक्त भूमि की पैमाईश भी नही की गई। अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि

11.11.19
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

प्रकरण में पटवारी के बयान नही लिए गए। एक साथ तीन तीन सजाए नहीं दी जा सकती न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का फैसला गलत है।

राज पैरोकार ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलांट ने राजकीय भूमि पर नाजायज काश्त कर अतिक्रमण किया है रिपोर्ट पटवारी सही है। अपीलांट के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन चिंतन मनन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि के कोई कोई ठोस सबूत/साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे जैर अपील भूमि पर उनका मालिकाना हक साबित हो सके। अतः प्रकरण में अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रतीत होता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा दी गई सजाये विधिक प्रावधानों के अनुरूप है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। तहसीलदार सूरतगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2019 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे पत्रावली मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

11.11.19

(डॉ0 गंजन सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (राज0)

Scanned by CamScanner